भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

पंजीकृत कार्यालय : स्कोप कॉम्पलेक्स, कोर '8', 7 लोदी रोड, नई दिल्ली – 110 003

टेलीफैक्स +91 11 24360249, वेब : www.theashokgroup.com

CIN L74899DL1965GOI004363

शेयरधारकों को सूचना

इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी की 53वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शुक्रवार, 28 सितंबर, 2018 को 11.00 बजे सम्मेलन हॉल, अशोक होटल, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली -110021 में होगी (सम्राट होटल से प्रवेश, अशोक-सम्राट को जोड़ने वाले द्वार के माध्यम से)। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के अनुसरण में कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर तथा शेयर अंतरण खाते सोमवार, 24 सितंबर, 2018 से शुक्रवार, 28 सितंबर, 2018 तक (दोनों दिन शामिल हैं) वार्षिक आम बैठक तथा लाभांश के भुगतान के लिए बंद रहेंगे।

वार्षिक आम बैठक की सूचना, 31 अगस्त/1 सितंबर, 2018 को वार्षिक रिपोर्ट 2017-18 और ई–वोटिंग अनुदेशों सहित उपस्थिति–पर्ची सदस्यों को कंपनी/रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट (आरटीए)/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी), जैसा भी मामला हो, के पास पंजीकृत डाक पते पर या ई-मेल पते पर भेज दिए गए हैं। उपर्युक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट : www.theashokgroup.com, आरटीए की वेबसाइट : https://evoting.karvy.com पर भी उपलब्ध हैं और व्यवसाय घंटों के दौरान निरीक्षण के लिए कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में भी उपलब्ध हैं। इसकी हार्ड कापी प्राप्त करने के इच्छुक सदस्य हमें लिख सकते हैं अथवा vkjain@itdc.co.in को ई-मेल कर सकते हैं तथा इसे उनके पंजीकृत पते पर भेज दिया जाएगा।

कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन बनाए गए नियमों के साथ पठित धारा 108 के उपबंधों एवं सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसरण में, कंपनी सदस्यों को यह सुविधा प्रदान कर रही है कि वे आरटीए, मैसर्स कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लि. द्वारा प्रदत्त ई-वोटिंग सेवाओं के माध्यम से सभी संकल्पों पर इलेक्ट्रॉनिक साधनों से वार्षिक आम बैठक में वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।

कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों एवं उनके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में विवरण निम्न प्रकार हैं :

1. रिमोट ई-वोटिंग के लिए सदस्यों की पात्रता की अंतिम तारीख 21 सितंबर, 2018 है। केवल वह व्यक्ति, जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में रिकॉर्ड है अथवा अंतिम तारीख को डिपॉजिटरी द्वारा डाउनलोड किए गए डाटा में हितलाभ प्राप्त करने वाले मालिक के रूप में शामिल है, रिमोट ई–वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने के हकदार होंगे। कोई भी व्यक्ति, जो सूचना भेजे जाने के पश्चात सदस्य बना हो एवं उसने शेयर अर्जित किए हों और अंतिम तारीख को उसके पास शेयर हों तो वह यूजर आईडी प्राप्त कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा मतदान के अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड जारी करने के लिए कंपनी/आरटीए से संपर्क कर सकता है।

   क यदि सदस्य का मोबाइल नंबर फोलियो नं./डीपी आईडी ग्राहक आईडी में पंजीकृत है, तो सदस्य 9212993399 पर MYEPWD <space> Event number+Folio No. अथवा DP ID Client ID पर एसएमएस भेज सकता है।

   ख यदि सदस्य का ई–मेल या मोबाइल नंबर फोलियो नं./डीपी आईडी ग्राहक आईडी में पंजीकृत है, तो सदस्य https://evoting.karvy.com के होम पेज पर ''फॉरगॉट पासवर्ड'' पर क्लिक करे और पासवर्ड बनाने के लिए फोलियो नं. या डीपी आईडी ग्राहक आईडी और पैन डाले।

   ग सदस्य कार्वी के टोल फ्री नंबर 1-800-3454-001 पर कॉल कर सकते हैं।

   घ सदस्य evoting@karvy.com पर ई–मेल अनुरोध भेज सकते हैं।

   यदि सदस्य एजेंसी में पहले से ही पंजीकृत है, तो वर्तमान यूजर आईडी और पासवर्ड का मतदान के लिए उपयोग कर सकता है।

   रिमोट ई-वोटिंग अवधि मंगलवार, 25 सितंबर, 2018 (पूर्वाह्न 9.00 बजे आईएसटी) से आरंभ होगी तथा बृहस्पतिवार, 27 सितंबर, 2018 (अपराह्न 5.00 बजे आईएसटी) को समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान, अंतिम तारीख को प्रत्यक्ष या डिमेटिरियलाइज्ड फॉर्म में कंपनी के शेयर रखने वाले सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट दे सकते हैं। 27 सितंबर, 2018 को अपराह्न 5.00 बजे आईएसटी के बाद ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी।

   मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा उन सदस्यों को उपलब्ध कराई जाएगी, जो एजीएम में भाग लेंगे और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से पहले से मतदान नहीं किया हुआ होगा।

   रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपने अधिकार का प्रयोग करने वाले सदस्य भी एजीएम में भाग ले सकते हैं परंतु उन्हें एजीएम में पुनः मतदान की अनुमति नही होगी। तथापि, यदि किसी सदस्य ने अपना मतदान इलेक्ट्रॉनिक के साथ-साथ मतपत्र के माध्यम से भी किया है, तो उसका रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान ही मान्य होगा।

   मतदान के परिणाम यथानिर्धारित संगत नियमों के अधीन घोषित किए जाएंगे और कंपनी की वेबसाइट पर भी डाल दिए जाएंगे। कंपनी ने इस उद्देश्य के लिए मैसर्स पी सी जैन एंड कंपनी, (एफसीएस 4103) प्रैक्टिसिंग सेक्रेटरीज़ को मतपत्र-निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

   इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की प्रक्रिया तथा तरीके के संबंध में किसी भी प्रश्न के मामले में, सदस्य शेयरधारकों के लिए ''बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न'' (एफएक्यू) तथा शेयरधारकों के लिए ई–वोटिंग प्रयोगकर्त्ता मैनुअल देखें, जोकि https://evoting.karvy.com पर डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध है अथवा वैकल्पिक रूप से किसी भी जानकारी या शिकायत के लिए evoting@karvy.com से अथवा श्री रवूरी विजय, उप प्रबंधक, ई-मेल einward.ris@karvy.com, टेलीफोन नं. : 91 40 67161522 या 1800 345 4001 (टोल फ्री) से संपर्क कर सकते हैं।

   लेखाओं अथवा कार्यसूची में रखी गई किसी अन्य मद पर सदस्यों के यदि कोई प्रश्न हैं तो उनसे अनुरोध है कि अपने प्रश्न कम से कम 10 दिन पहले कंपनी को उसके रजिस्टर्ड कार्यालय पते पर भेज दिए जाएं ताकि कंपनी संगत सूचना एकत्र कर सके और बैठक के लिए सूचना तैयार रख सके।

बेदावा लाभांश

लागू सांविधिक उपबंधों के अनुसार, कंपनी वित्त वर्ष 2011-12 के लिए अप्रदत्त/बेदावा लाभांश निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में 7 नवंबर, 2019 तक अंतरित कर देगी। सदस्य, जिन्होंने वित्त वर्ष 2011-12 के लिए और उसके बाद लाभांश के संबंध में अपनी लाभांश राशि (राशियों) का नकदीकरण नहीं करवाया है, को कंपनी के पंजीकृत पते पर कंपनी सचिव को लिखने की सलाह दी जाती है।

निदेशक बोर्ड के आदेश से
कृते भारत पर्यटन विकास निगम लि.

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 06.09.2018

वी. के. जैन
कंपनी सचिव

आपकी सभी यात्रा, पर्यटन और आतिथ्य आवश्यकताओं के लिए एक स्थान पर समस्त समाधान